शिक्षा का अधिकार
समग्र शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल–462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र./रा.शि.के./मूल्यांकन/5–8 परीक्षा/2023–24/7371 भोपाल, दिनाँक : 10-10-2023

प्रति,

जिला परियोजना समन्वयक
समस्त जिले (म.प्र.)

विषय– कक्षा 5 व 8 सत्र 2022–23 के विद्यार्थियों की फाइनल अंकसूची प्रिंट करने के संबंध में।

संदर्भ :– रा.शि.के. का पत्र क्र.राशिके/मूल्यांकन/कक्षा 5 व 8/2023–24/5639–40 भोपाल दि. 01.08.2023

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि –

1. परीक्षा पोर्टल rskmp.in पर वार्षिक परीक्षा सत्र 2022–23 कक्षा 5 व 8 के विद्यार्थियों की फायनल अंकसूची प्रिंट करने हेतु जिलों को भेजे गये प्री– प्रिंट फार्मेट में अंकसूची प्रिंट करने हेतु रिपोर्ट लाइव कर दी गई है, जिसमें प्री–प्रिंट फार्मेट अनुसार अलाइनमेंट किया गया है। उपलब्ध रिपोर्ट को प्री–प्रिंट फार्मेट के ऊपर प्रिंट करने के लिए ही उपयोग किया जाना है।
2. म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम के संभागीय डिपो कार्यालय के माध्यम से कक्षा 5 व 8 सत्र 2022–23 के वार्षिक परीक्षा प्रगति पत्रकों के प्री प्रिंट फार्मेट आपको उपलब्ध कराए जा चुके हैं। फार्मेट पर प्रिंट करने के पूर्व परिशिष्ट–1 पर दी गई सूची से आपको प्राप्त फार्मेट की संख्या का मिलान करें एवं वास्तविक प्राप्त संख्या से इस कार्यालय को तत्काल अवगत करायें, उसके बाद ही छात्रवार प्रगति–पत्रक प्रिंट करें।
3. अशासकीय शालाओं द्वारा परीक्षा हेतु पंजीकृत छात्र संख्या अनुसार परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा करने के उपरांत ही पोर्टल पर प्रगति–पत्रक मुद्रण करने की सुविधा उपलब्ध होगी। अशासकीय शालाओं द्वारा शुल्क भुगतान उपरांत कक्षावार एवं छात्रवार अंक सूची प्रिंट कर संबंधित संस्था प्रमुख को प्रगति–पत्रक सौंपकर पावती प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
4. प्रगति–पत्रक की शुचिता तथा गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार सावधानी बरती जाए –
   4.1 विद्यार्थियों की अनंतिम अंक सूची में परिलक्षित त्रुटि के संशोधन उपरांत ही फायनल अंकसूची प्री–प्रिंट फार्मेट में निकाली जाए।
   4.2 प्री–प्रिंट पेपर को प्रिंटर (कोई भी श्वेत – श्याम प्रिंटर) के बीच में रखे। (पेपर ट्रे के सेंटर में सेट करें)

4.3. पहले एक मार्कशीट प्रिंट करके देख लें और सभी अलाइनमेंट सही होने पर अन्य मार्कशीट प्रिंट करें।

4.4. थोड़े–थोड़े प्रिंट निकालकर चेक करते रहें कि अलाइनमेंट सही है और सही प्रिंट निकल रहे हैं।

4.5. प्रिंटर के टोनर को भी समय–समय पर चेक करते रहें। प्रिंट धुंधला होने की स्थिति में टोनर बदलकर प्रिंट निकालें।

4.6. कक्षा 5 व 8 के अलग–अलग प्रिंट फार्मेट दिए गए हैं। अतः यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित फार्मेट पर ही प्रिंट निकाले जाएं।

5. यह देखने में आया है कि वर्ष 2021–22 की अंकसूची प्रिंट करने में बहुत अधिक संख्या में फार्मेट खराब हुए हैं। अतः प्रोग्रामर को स्पष्ट रूप से निर्देशित करें कि प्री– प्रिंट फार्मेट की छायाप्रति पर फार्मेट को सेट करने के बाद ही वास्तविक फार्मेट पर सावधानी से प्रिंट निकालें जिससे फार्मेट खराब न हो।

6. विद्यार्थियों को त्रुटिरहित एवं स्पष्ट दिख रही अंकसूची प्रदान करने के लिए विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक तथा एम.आई.एस. कॉर्डिनेटर व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहेंगे।

(धनराजू एस.) 10/10/2023
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

पृ.क्र. / रा.शि.के. / मूल्यांकन / 5–8 परीक्षा / 2023–24 / 7372 भोपाल, दिनाँक : 10-10-2023

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल मध्यप्रदेश
5. आयुक्त, जनजाति कार्य विभाग, मध्यप्रदेश।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले मध्यप्रदेश।
7. संभागीय, संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।
8. सचिव, मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड, भोपाल।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले मध्यप्रदेश।
10. प्राचार्य, डाईट, समस्त जिले मध्यप्रदेश।
11. समस्त प्राचार्य, संकुल केन्द्र (हाईस्कूल / हायरसेकण्डरी स्कूल), मध्यप्रदेश।
12. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी / बीआरसीसी, मध्यप्रदेश।
13. म.प्र. एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

उक्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु।

10/10/2023
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल